

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकप.5(11)चिस्वा../ग्रुप-3/10पार्ट-3

जयपुर, दिनांक:

28 MAY 2014

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर।

विषय:- स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु आवश्यक/अस्थाई आधार पर कार्यरत
नर्स ग्रेड-II, सेवाओं में अभिवृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक:8574 दिनांक:14.03.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अधीन प्राप्त प्रस्तावानुसार मेडिकल कॉलेज, जयपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु आवश्यक/अस्थाई आधार पर कार्यरत 11 नर्स ग्रेड-II (सूची संलग्न) की अस्थाई सेवा अवधि दिनांक:01.04.2014 से दिनांक:30.09.2014 तक अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक तक अथवा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, तीनों में से जो भी पहले हो, तक सेवा अभिवृद्धि निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर यह सुनिश्चित करे कि यदि प्रस्तावित कार्मिकों की अस्थाई नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध, वित्त विभाग की सहमति से एवं निर्धारित प्रक्रिया की पालना के उपरांत की गई है, तो ही उक्त अभिवृद्धि मान्य होगी।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर यह सुनिश्चित करे कि संलग्न सूची में कार्यरत कार्मिक वर्तमान में भी कार्यरत है।
3. उक्त बढ़ाई गई अभिवृद्धि के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा नियमानुसार भरने जाने का कीर्त्यवाही सुनिश्चित करावे। विभाग माननीय न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक:20.09.11 अनुसार आवश्यक होने पर, अन्य नियमित रूप से चयनित कार्मिकों को उनके स्थान पर पदस्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र करावे तथा प्रस्तावित कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर, (if they do not need petitioners services apart from others but then the principle of last First Go would be applied their in.) इसी अवधि में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही कराने का भी परामर्श दिया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई0डी0 संख्या 101401745 दिनांक: 12.05.14 एवं कार्मिक विभाग की आई0डी0 संख्या 410 दिनांक 22.05.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में की जाती जाती है।

भवदीय,

- 31 -

(डॉ एस.पी. सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
4. कार्मिक (क-2) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।


अनुभागाधिकारी

(W)